शुद्धिपत्र

संख्या-178/2026/आई/1272721/23-1-26-23-1002(002)/84/2026

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: 19 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 1217 कार्यों के नवनिर्माण कार्य हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054 में विभिन्न पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के क्रम में शासनादेश संख्या-120/2026/आई/1254367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026, दिनांक 27.02.2026 द्वारा अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत **विभिन्न मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 1217 मार्गों के नवनिर्माण कार्यों हेतु कुल लागत** रू0 147632.05 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल रू0 6920.93 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया गया है।

2- मुख्य अभियन्ता के पत्र संख्या-1319/(54-सी)/स0वृ0/2026, दिनांक 13.03.2026 एवं पत्र संख्या-1394/(54-सी)/स0वृ0/2026, दिनांक 17.03.2026 द्वारा उक्त शासनादेश में अंकित तालिका के क्रमांक-361 पर अंकित जनपद बलरामपुर के 01 कार्य हेतु खण्ड तथा क्रमांक-900 व 901 पर अंकित जनपद अमरोहा के 02 कार्यों हेतु संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: उक्त स्वीकृत शासनादेश संख्या-120/2026/आई/1254367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026, दिनांक 27.02.2026 में अंकित तालिका के क्रमांक-361 एवं 900

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

व 901 पर अंकित कार्यों हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित क्रमांक-1 हेतु खण्ड तथा क्रमांक-2 व 3 पर अंकित लम्बाई के विवरण **के स्थान** स्तम्भ-5 में अंकित क्रमांक-1 हेतु खण्ड एवं क्रमांक-2 व 3 पर अंकित लम्बाई का विवरण पढ़ा जाय।

क्र0सं0	**शासनादेश की तालिका का क्रमांक**	**कार्य का नाम**	**शासनादेश में अंकित विवरण**	**संशोधित विवरण**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	361	महाराजगंज रूपनगर मार्ग के किमी0 6 के बाये से अलीनगर सम्पर्क मार्ग	नि0खं0 बलरामपुर	प्रा0खं0 बलरामपुर
2	900	वाजिदपुर से ड्योढ़ी मार्ग	1.400 कि0मी0	0.375 कि0मी0
3	901	चक कालीगेट हाल्ट से ग्राम चक काली गेट होते हुए वाजिदपुर मार्ग	0.325 कि0मी0	0.720 कि0मी0

3- उक्त शासनादेश दिनांक 27.02.2026 की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-178/2026/आई/1272721(1)/23-1-26-23-1002(002)/84/2026-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in